118

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक 1330-दो/2007 निगरानी - विरूद्ध आदेश दिनांक 28-6-2007 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा - प्रकरण क्रमांक 179/2005-06 अपील

नचकइया पुत्री मीले चमार
ग्राम चोरा तहसील त्योंथर जिला रीवा ---आवेदक

विरूद्ध

दीनानाथ पुत्र रामधारी
ग्राम चोरा तहसील त्योंथर जिला रीवा --अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री डी.एस.चौहान)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री के.के.द्विवेदी)

आ दे श

(आज दिनांक 11-8-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 179/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-6-07 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने तहसीलदार त्योंथर को इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम भौरा स्थित भूमि खसरा क्रमांक 286, 306/1, 324 के भाग 1/2 के उसके पिता भूमिस्वामी थे उनके स्थान पर आवेदक का कब्जा दर्ज किया जावे। नायव तहसीलदार वृत्त रायपुर ने प्रकरण क्रमांक 19 अ 6-अ/01-02 पॅजीबद्ध किया तथा आदेश दिनांक 30-9-2005 से आवेदक का नाम दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर ने प्रकरण क्रमांक 3/अ-6-अ/05-06 अपील में

पारित आदेश दिनांक 14-11-2005 से अपील स्वीकार कर नायव तहसीलदार का आदेश निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त रीवा संभाग ने प्रकरण कमांक 179/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-6-07 से अपील अस्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर के आदेश दिनांक 14-11-05 को स्थिर रखा। अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि आवेदक ने अनावेदक के नाम पूर्व से दर्ज चली आई भूमि के हिस्सा 1/2 पर स्वयं् का कब्जा दर्ज करने का आवेदन तहसील न्यायालय में दिया है । नायव तहसीलदार वृत्त रायपुर ने प्रकरण कमांक 19 अ 6-अ/01-02 में पारित आदेश दिनांक 30-9-2005 से आवेदक का आवेदन स्वीकार करके कब्जा अंकित करने के आदेश दिये हैं। आवेदक ने अनावेदक के नाम पूर्व से दर्ज चली आ रही भूमि के खसरे में नवीन कब्जे की प्रविष्टि दर्ज करने की मांग की है। प्रश्न यह है कि क्या मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 116 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पर किसी अन्य पक्षकार की भूमि पर कब्जा दर्ज किया जा सकता है ? मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता , 1959 में निम्नानुसार प्रावधान है :-

धारा 115 – **खसरा तथा किन्हीं अन्य भू अभिलेखों में गलत प्रविश्टि का वरिश्ठ पदाधिकारियों व्दारा षुद्विकरण** – यदि किसी तहसीलदार को यह पता चले कि उसके अधीनस्थ पदाधिकारी व्दारा धारा 114 के अधीन तैयार किये गये भू अभिलेखों में गलत या अषुद्व प्रविश्टि की गई है तो वह सम्यक लिखित सूचना देने के पष्चात् संबंधित व्यक्तियों से ऐसी पूछताछ करने के पष्चात् जैसी कि वह उचित समझे, उसमें आवष्यक परिवर्तन लाल स्याही से किये जाने के निदेष देगा।

धारा 116 – **खसरा तथा किन्हीं अन्य भू अभिलेखों में प्रविश्टि के बारे में विवाद** –
यदि कोई व्यक्ति धारा 114 के अधीन तैयार किए गए भू अभिलेखों में की, किसी ऐसी प्रविश्टि से व्यथित हो जो धारा 108 में निर्दिश्ट की गई बातों से भिन्न बातों के संबंध में की गई हों, तो वह ऐसी प्रविश्टि के दिनांक से एक वर्श के भीतर उसके षुद्विकरण के लिये तहसीलदार को आवेदन करेगा।

नायव तहसीलदार ने आवेदक का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा दर्ज करने का आदेश दिया है । मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 115, 116 के अंतर्गत कब्जे की नवीन प्रविष्टि दर्ज नहीं की जा सकती, अपितु संहिता की धारा 114 के अंतर्गत तैयार किये गये अभिलेख में यदि त्रृटिवश अशुद्ध प्रविष्टि हो गई है, इन धाराओं के अधीन त्रृटिपूर्ण प्रविष्टि शुद्ध की जा सकती है। (शांतिदेवी विरूद्ध म.प्र.राज्य 2011(III) M.P.J.R. 370 (DB) से अनुसरित) संहिता की धारा 116 के अंतर्गत त्रृटिपूर्ण प्रविष्टि शुद्ध कराने हेतु प्रार्थना पत्र देने के लिये प्रावधान है कि त्रृटिपूर्ण प्रविष्टि के एक वर्ष के भीतर पीड़ित पक्षकार को आवेदन देना होगा। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 में आधिपत्य की प्रविष्टि किये जाने का प्रावधान नहीं है आधिपत्य की प्रविष्टि के संबंध में प्रावधान न होने से नवीन प्रविष्टि नहीं की जा सकती। (रामचरण विरूद्ध चैनावाई 1998 रा.नि. 211 से अनुसरित) . यदि आवेदक स्व वाद विचार भूमि मेंयं पिता का हिस्सा 1/2 होना बताती है जिसके आधार पर एकमात्र वारिस होने के आधार पर स्वत्व चाहती है तब स्वत्व प्रमाणित कराने के लिये उसे व्यवहार न्यायालय से आज्ञप्ति प्राप्त करना होगी, जिसके कारण आवेदक को किसी प्रकार अनुतोष दिया जाना संभव नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी अस्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 179/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-6-07 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर